भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1960
दिनांक 11 दिसंबर 2025

तमिलनाडु में 'सतत' योजना के अंतर्गत सीबीजी संयंत्रों का कार्यान्वयन

†1960. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में कितने संयंत्र स्थापित और परिचालन में हैं;

(ख) ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या मानदंड और प्रक्रियाएं हैं तथा इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों और संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन सीबीजी संयंत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरणीय संवहनीयता और ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(घ) सीबीजी संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने तथा योजना को व्यापक रूप से अपनाने और उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार ज़्यादा सीबीजी संयंत्र लगाने के लिए किसानों और उद्यमियों के बीच किस प्रकार जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना बना रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) देश में विभिन्न अपशिष्ट/जैवमास स्रोतों से संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उत्पादन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के साथ इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिनाँक 1 अक्टूबर 2018 को "किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत)" पहल शुरू किया गया था। तेल और गैस विपणन कंपनियों (ओजीएमसी) जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) आदि ने तदनुसार देश भर के संभावित उद्यमियों से सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।

सीबीजी संयंत्र उद्यमियों और अन्य इच्छुक कम्पनियों द्वारा परियोजनाओं के तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पोर्टल के अनुसार, 170 सीबीजी/जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (जैव-सीएनजी) परियोजनाएं चालू हैं और 266 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। तमिलनाडु राज्य में 8 संयंत्र कमीशन किए जा चुके हैं और 8 संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

सीबीजी संयंत्र कृषि अवशेष, प्रेस मड, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, गोबर आदि जैसे अपशिष्ट और जैवमास का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में योगदान करते हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके तथा कृषि अवशेषों को जलाने से रोककर पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देते हैं। ये संयंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि, जैविक खाद आपूर्ति श्रृंखला के सृजन, जैविक खेती को प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता तथा ऊर्जा सुरक्षा में संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण विकास में भी सहयोग प्रदान करते हैं।

सीबीजी संयंत्रों को लगाने में तेजी लाने के लिए, सरकार ने गोबर्धन पहल के अंतर्गत कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए "समग्र सरकारी" दृष्टिकोण अपनाया है। कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) के तहत तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से सीबीजी के उठान के लिए सुनिश्चित मूल्य; राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की व्यापक योजना, जो अन्य बातों के अलावा सभी प्रकार के सीबीजी/जैवगैस संयंत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है; स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत नगर निगम ठोस अपशिष्ट आधारित सीबीजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता; उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सीबीजी संयंत्रों से उत्पादित जैव खाद को किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के रूप में शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं से उत्पादित जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता; मामले-दर-मामले आधार पर सीबीजी परियोजनाओं को 'श्वेत श्रेणी' में शामिल करना; प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत सीबीजी परियोजनाओं को शामिल करना; सीबीजी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण उत्पाद आदि शामिल हैं।

सरकार द्वारा कई अतिरिक्त पहलें जैसेकि सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी के सिनक्रोनाइजेशन के लिए दिशानिर्देश; सीबीजी की उठान को सुगम बनाने के लिए पाइपलाइन अवसंरचना (डीपीआई) के विकास की योजना; बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (बीएएम) की अधिप्राप्ति के लिए सीबीजी उत्पादकों को सहायता प्रदान करने की योजना; और सीजीडी नेटवर्क के सीएनजी(टी) और पीएनजी(डी) खण्ड में सीबीजी की चरणबद्ध रूप से अनिवार्य बिक्री की शुरूआत की गई हैं।

सरकार देश भर में कार्यशालाओं, सेमिनारों और बैठकों आदि का आयोजन कर रही है ताकि उद्यमियों और किसानों को सीबीजी के तकनीकी, वित्तीय और परिचालन पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें अधिक से अधिक सीबीजी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विस्तृत जानकारी गोवर्धन पोर्टल https://gobardhan.eil.co.in/ पर भी उपलब्ध है और इसके साथ-साथ लर्निंग मॉड्यूल https://satat.co.in/satat/ पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

*****